



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1201 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/19-14-काविनी/87(एम.एफ.) दिनांक 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन सेवकों की प्रोन्नति हेतु चयन में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक परिषदादेश सं० 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दि० 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) (शीर्षक-"अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने की दशा में") में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त एतद्वारा निम्नवत् प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

" विगत चयन वर्ष/वर्षों में चयन प्रकरण में बनाये गये मुहरबन्द लिफाफे से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण का निस्तारण वर्तमान चयन वर्ष में यदि वृहद दण्ड प्रदान करते हुए किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में कार्मिक "अनुपयुक्त" की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे। "

2 उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष-2021-22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 1201-(1)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० रा०वि०उत्पादन निगम लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग एवं जॉच समिति, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, जॉच समिति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

उप सचिव (काविनी)

392

1